झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–749 वर्ष 2017

मीना हांसदा ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखंड राज्य और अन्य .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री आर0के0 सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री योगेश मोदी, ए0ए0जी0 का जे0सी0

06 / 12.06.2017 पार्टियों को सुना।

याचिकाकर्ता मेमो नंबर 330 / बी, दुमका में निहित दिनांक 30.06.2016 के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को पाकुड़ सदर से नारायणपुर ब्लॉक, जामताड़ा स्थानांतरित कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अन्य दो व्यक्तियों, बानानी घोषाल और मीता चटर्जी के संबंध में इस न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया है और याचिकाकर्ता का नाम भी उक्त सूची में दिखाई देता है और इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले के साथ वही कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होनें आगे कहा कि डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4389 / 2016 में पारित दिनांक 06.01.2017 के आदेश में, एक श्री

कार्तिक कुमार प्रभात, आयुक्त के सचिव, संथाल परगना, दुमका ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि संभागीय स्थापना समिति की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, जो यह दर्शाता है कि समिति ने याचिकाकर्ता को स्थानांतरित नहीं किया है और इस प्रकार स्थानांतरण आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है।

राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि स्थानांतरण के क्रम में कोई अवैधता नहीं है और वास्तव में, प्रमण्डलीय स्थापना समिति ने इस याचिकाकर्ता और अन्य को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जो बिल्कुल विधिक है। वह आगे कहते हैं कि इस याचिकाकर्ता के मामले को बननी घोषाल और मीता चटर्जी के मामले से अलग किया जा सकता है क्योंकि उनमें से एक विधवा थी और दूसरा अपने सेवाकाल के अंतिम छोर पर थी।

मैनें अभिलेखों का अध्ययन किया है। स्थानांतरण आदेश, जो अनुलग्नक–3 पर है, स्पष्ट रूप से बताता है कि स्थानांतरण प्रमण्डलीय स्थापना समिति द्वारा किया गया है। इस प्रकार, इस याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश में कोई अवैधता नहीं है। जहाँ तक डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 4389/2016 में पारित दिनांक 06.01.2017 के आदेश का संबंध है, पैरा 2 और 3 में इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि प्रमण्डलीय स्थापना समिति की बैठक हुई थी, लेकिन उन्होनें बननी घोषाल और मीता चटर्जी की स्थिति पर विचार नहीं किया, अर्थात उनमें से एक विधवा थी और दूसरा अपनी सेवाओं के अंतिम छोर पर थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह निवेदन करना कि स्थापना समिति की कोई

बैठक नहीं हुई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैनें पाया कि सक्षम प्राधिकारी ने स्थानांतरण आदेश पारित किया है।

स्थानांतरण सेवा की घटना है। इस मामले में न तो किसी नियम के उल्लंघन ा कोई आरोप है और न ही दुर्भावना का अरोप है। इसलिए, इस याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस याचिकाकर्ता का मामला बननी घोषाल और मीता चटर्जी के समान नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, इस रिट आवेदन में योग्यता का अभाव है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)